

11-11-2021

Form No-|||
लोकतंत्र

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपरखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

दिलवाग सि.डि. 28 R3

सरकार

किस्म गुकदमा 136 एल आर एक्ट

नम्बर 355 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जौ इस हुकम की तामील में जारी किए
11-11-2021	<p>तहसीलदार भूअ./नायब तहसीलदार <u>ब्रह्मसिंह पु.</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भूअ./प्र.गां.सं.अ./2021/ <u>218</u> दिनांक <u>11-11-2021</u> के द्वारा प्रशासन गावों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>लाला रिवा</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>28 R3</u> की जमाबंदी सम्बत् <u>2026-2029</u> के खाता सं. <u>6</u> में <u>दिलवाग सि.डि. 28 R3</u> के स्थान पर <u>दिलवाग सि.डि. 28 R3</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>ब्रह्मसिंह पु.</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वार्के चक <u>28 R3</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत् <u>2026-2029</u> के खाता सं. <u>6</u> में <u>दिलवाग सि.डि. 28 R3</u> के स्थान पर <u>दिलवाग सि.डि. 28 R3</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपरखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर
डिप्टी लका 20का

